न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 006/2024 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 28.02.2024
GCMS NO. :-2024/46

1–सत्येन्द्र पिता नन्दलाल ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–कैलाशचन्द्र पिता नन्दलाल ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्स

बनाम

1–शिवलाल पिता गोपीलाल ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 3083/2018 दिनांक 10.05.2018 द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़

उपस्थिति :– 1–श्री बगदीराम धाकड़, अधिवक्ता अपीलांट्स
2–श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 006/2024 (रा. अ.)
सत्येन्द्र पिता नन्दलाल ब्राह्मण निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम शिवलाल पिता गोपीलाल ब्राह्मण निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी कृषि आराजीयात मौजा सैंती, पटवार हल्का सैंती, तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1194 रकबा 0.25 हैक्टेयर है जिसका दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प औछड़ी में करवाया किन्तु बंटवाड़ा करते समय रकबा क्रमशः 0.1250–0.1250 के बजाय रकबा 0.1150–0.1150 हैक्टेयर दर्ज की त्रुटि हो जाने से राजस्व रेकार्ड में रकबा 0.1150–0.1150 के बजाय शुद्धि कर 0.1250–0.1250 हैक्टेयर दर्ज किये जाने यह अपील प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार का आदेश नामान्तण संख्या 3083/2018 दिनांक 10.05.2018 को निरस्त कर रकबा शुद्धि करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश किया। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्वामित्व, आधिपत्य एवं उपयोग–उपभोग की पुश्तैनी कृषि आराजीयात मौजा सैंती, पटवार हल्का सैंती, तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसके खाता संख्या 662

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 006/2024 (रा. अ.)
सत्येन्द्र पिता नन्दलाल ब्राह्मण निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम शिवलाल पिता गोपीलाल ब्राह्मण निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

आराजी संख्या 1194 रकबा 0.25 हैक्टेयर अवस्थित है जो अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार कैम्प औछडी में उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा करवाया किन्तु बंटवाड़ा करते समय राजस्व कर्मियों की त्रुटि से उक्त रकबा क्रमशः 0.1250-0.1250 हैक्टेयर के बजाय रकबा 0.1150-0.1150 हैक्टेयर त्रुटि से दर्ज कर दिया उभय पक्ष शुरू से ही पूर्व में किये गये मौखिक पांति-बंटवाडे अनुसार अपने हक एवं हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्व शिविर में जल्दबाजी एवं अत्यधिक भीड के कारण अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के रकबे में क्रमशः 0.01-0.01 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर दिया जो कि अवैधानिक है। अतः उक्त त्रुटि को सुधार कर उभय पक्ष के खाते में रकबा 0.1150-0.1150 हैक्टेयर के बजाय 0.1250-0.1250 हैक्टेयर किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का आदेश नामान्तरण संख्या 3083 दिनांक 10.05.2018 निरस्त फरमाकर राजस्व रेकार्ड में रकबा क्रमशः 0.1150-0.1150 हैक्टेयर के बजाय रकबा 0.1250-0.1250 हैक्टेयर दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि उभय पक्ष ने आपसी सहमति से अपनी आराजीयात का विधिवत बंटवाड़ा करवाया किन्तु केम्प कोर्ट मजमे आम में कार्यवाही के दौरान नामान्तरण तस्दीक करते समय सहवन से रकबा 0.1250-0.1250 हैक्टेयर के बजाय 0.1150-0.1150 हैक्टेयर दर्ज हो गया जिसे शुद्धि फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 1194 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि उभय पक्ष के खातेदारी में 1/2-1/2 हक एवं हिस्सा दर्ज रेकार्ड है सहवन से रकबा 0.1250-0.1250 के बजाए रकबा 0.1150-0.1150 हैक्टेयर दर्ज होना प्रतीत होता है। अतः अपील स्वीकार योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 006/2024 (रा. अ.)
सत्येन्द्र पिता नन्दलाल ब्राह्मण निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम शिवलाल पिता गोपीलाल ब्राह्मण निवासी सेगवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार पत्रावली में उपलब्ध ग्राम सैंती की जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि आराजी नम्बर 1194 रकबा 0.25 हैक्टेयर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में 1/-1/2 हक एवं हिस्सा दर्ज रेकार्ड है जबकि आपसी सहमति से विभाजन का नामान्तरण खोलते समय नामान्तरण संख्या 3083 स्वीकृत दिनांक 10.05.2018 में उक्त आराजी नम्बर 1194 में रकबा 0.23 है. ही अंकित किया हुआ है तथा रकबा 0.23 है. के आधार पर उभय पक्षकारान के खाते में रकबा क्रमशः 0.1150-0.1150 हैक्टेयर ही दर्ज किया जाना प्रतिवेदित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 3083 दिनांक 10.05.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में उभय पक्ष को साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विधि-सम्मत् कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official